



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1940 (२०)

(सं० पटना ७३४) पटना, मंगलवार, 31 जुलाई 2018

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
24 जुलाई 2018

सं० वि०स०वि०-11/2018- 4528 / वि०स०—“दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा।

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018

(वि०स०वि०-09/2018)

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य में उनहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांकित रूप से यह अधियिमित हों:-

1. संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975 का निरसन—दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

3. व्यावृति:-ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, 1975 के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा आरंभ की गई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 02 अक्टूबर, 2017 से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सफल कार्यान्वयन हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लागू प्रावधानों को और भी अधिक कठोर एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975 (बिहार अधिनियम, 4, 1976) को निरसित करना अपेक्षित है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधियिमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(कुमारी मंजु वर्मा)
भार साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 24.07.2018

सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 734-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>